राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 226/2010/कोटा

मैसर्स कट्टा इण्डस्ट्रडीज,
एफ 308, आई.पी.आई.ए, कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, कोटा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 73/आरएसटी/2009–10/कोटा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, कोटा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थन विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.07.2009 द्वारा कायम की गयी मांग राशि अन्तर कर रूपये 202714/– एवं ब्याज रूपये 89194/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी का आलोच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 22.10.2007 को पारित किया गया। जिसमें राज्य के बाहर से आयातित पेडी से निर्मित पोहा 6757165/– के विक्रय पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1939एफ/12(20)एफ.डी./टैक्स/2005/19 दिनांक 20.04.2005 के अनुसार आयातित पेडी से निर्मित चावल के विक्रय पर ही 1 प्रतिशत से कर देय था न कि पोहा पर। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि पर 3 प्रतिशत से अतिरिक्त कर एवं ब्याज आरोपित करने हेतु दिनांक 25.06.2009 के लिये सूचना पत्र जारी किया, लेकिन सूचना पत्र तामिली के बावजूद अपीलार्थी न तो उपस्थित हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत मूल आदेश को संशोधित करते हुए 6757165/– पर 3 प्रतिशत से अन्तर कर रूपये 202714/– एवं ब्याज रूपये 89194/– कुल मांग राशि रूपये 291909/– आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

निरन्तर.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक, एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.10.2007 पारित करते समय अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 को ध्यान में रखते हुए ही राज्य के बाहर से आयातित की गई पेडी से निर्मित पोहा पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया था जिसे अब मत भिन्नता के आधार पर उक्त अधिसूचना के बाहर का व्यवहार मानते हुए 3 प्रतिशत से जो अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया है वह अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **S.B. Sales Tax Revision Petition No. 159/2014 Commercial Taxes Officer Kota Vs M/s Arjun Oil Industries, Kota Dated 07.11.2016** का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने व अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 के अनुसार राज्य के बाहर से आयात की गई पेडी से निर्मित चावल के विक्रय पर 1 प्रतिशत से कर देय है। इसमें पोहा शामिल नहीं है। यदि राज्य सरकार को इससे निर्मित पोहा पर भी 1 प्रतिशत से कर वसूल करना होता तो वह इस का नाम भी इस अधिसूचना में जोड़ती। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्होंने कथन किया कि राज्य के बाहर से आयातित पेडी से निर्मित पोहा की बिक्री 6757165/– पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 के अनुसार राज्य के बाहर से आयातित पेडी से निर्मित चावल के विक्रय पर 1 प्रतिशत से कर आरोपेत किया जा सकता था। उक्त अधिसूचना का पठन निम्न प्रकार है :–

F12(20)FD/Tax/2005-19 Dated 20-4-2005

"In exercise of the powers conferred by section 15 of the RST Act 1994, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest, soto do, here by exempts from tax payable on sale of rice to the extent the rate of tax exceeds 1 % on the condition that the dealer proves to the satisfaction of the assessing aurhority that the paddy purchased by him from outside the state or in thecourse of inter-state trade or commerce for the manufacture of such rice in the State, has been subjected to tax under the Sa;es Tax Law of the state of selling dealers or under sub section(1) or (2) of section 8of the Central Sales Tax Act 1956. as the case may be

6. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य के बाहर से आयात किये गये पेडी से निर्मित चावल के विक्रय पर 1 प्रतिशत से अधिक का कर माफ किया गया। यदि राज्य सरकार को ऐसी पेडी से निर्मित पोहा व अन्य वस्तुओं के विक्रय पर भी 1 प्रतिशत से अधिक का कर माफ करना होता तो वह चावल के साथ–साथ इन वस्तुओं का नाम भी इस अधिसूचना में शामिल करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

निरन्तर.....3

इस प्रकार उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1939एफ/12(20)एफ.डी./टैक्स/2005/19 दिनांक 20.04.2005 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित पेडी से निर्मित चावल के विक्रय पर 1 प्रतिशत न मानकर 3 प्रतिशत से कर देयता मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया।

8. प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या धारा 37 के तहत पूर्व में 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था उसे बढाकर 4 प्रतिशत किया जाकर मूल आदेश को संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस संबंध में धारा 37 का स्कॉप सीमित है इसमें केवल रिकार्ड की भूल ही संशोधित की जा सकती है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले पोहा पर 1 प्रतिशत से कर देयता स्वीकार कर ली एवं बाद में नोटिफिकेशन के भिन्न मन्तव्य के आधार पर पोहा इसमें शामिल नहीं होना माना जाकर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उद्धरित न्यायिक निर्णय 178 टैक्स अपडेट वोल्यूम 4 पेज 4 दिनांक 04.10.2002 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त जयपुर बनाम लार्सन एण्ड ट्रर्बो लि0 पूर्णतया इस प्रकरण के तथ्यों से मेल खाता है। अतः यह निर्णय दिया जाता है कि मतभिन्नता के कारण धारा 37 में संशोधन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। (2.) यह दूसरा प्रश्न चावल व पोहा से सम्बन्धित है। क्या दोनों एक ही वस्तु है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय **S.B. Sales Tax Revision Petition No. 159/2014 Commercial Taxes Officer Kota Vs M/s Arjun Oil Industries, Kota Dated 07.11.2016** उद्धरित किया है जिसमें माना गया है कि चावल व पोहा एक ही वस्तु है। अतः जब चावल पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 से 4 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत कर देयता इस शर्त पर की गयी है कि राज्य के बाहर से यदि पेडी आयात की जाती है तो उससे निर्मित चावल पर 1 प्रतिशत से कर देयता होगी, उक्त रियायती दर पोहा पर भी लागू होगी यदि ऐसा पोहा राज्य के बाहर से आयातित पेडी से निर्मित किया गया है। **माननीय राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा अपील संख्या 07/2010 मैसर्स अर्जुन ऑयल इण्डस्ट्रीज बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 04.12.2013** में भी यही निर्णित किया है कि चावल एवं पोहा एक ही वस्तु है। अतः यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि चावल व पोहा एक ही वस्तु है तथा अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 के अनुसार चावल के साथ पोहा पर भी 1 प्रतिशत की दर से कर देयता होगी।

9. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2010 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य